No. 13

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
57/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 57/2016 अनवानी अन्ग्रेज सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम एल तहसील श्रीगंगानगर बनाम 1–नसीब कौर पत्नि सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएल तह0 श्रीगंगानगर 2–कर्मसिंह 3–गुरचरण सिंह 4–सुरेन्द्र सिंह 5–दरबारासिंह 6–गोपालराम वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ उपस्थित है। अप्रार्थीयान नसीब कौर वगैरा के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीयान के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 34/2016 अनवानी नसीब कौर आदि बनाम बनवारी आदि धारा 251(ए) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 आरटीए के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 34/2016 अनवानी नसीब कौर आदि बनाम बनवारी आदि धारा 251(ए) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 आरटीए के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पद का कार्यभार नये पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

514/20-2-17

आदेश आज दिनांक 14.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर